

हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं अन्य

बनाम

भारत सरकार और अन्य

11 मई, 1999

[न्यायाधीश एस. पी. भरुचा, बी. एन. किरपाल, एस. राजेंद्र बाबू, एस. एस. मोहम्मद कादरी
और एम. बी. शाह]

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975: धारा 3 (1) और स्पष्टीकरण और 9 [अ] सीमा शुल्क
अधिनियम, 1962: धारा 12.

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 धारा 2 (च)-पहली अनुसूची टैरिफ वस्तु
22 एफ

सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क - उदग्रहण - एस्बेस्टस फाइबर 1986 से पूर्व आयात किया गया अतिरिक्त सीमा शुल्क के लिए उत्तरदायी नहीं- निर्णीत अतिरिक्त शुल्क केवल तभी उदग्रहित किया जा सकता। जबकि उस वस्तु पर उत्पाद शुल्क उदग्रहित किया जा सके - अतिरिक्त शुल्क लगाने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 12 नहीं है, बल्कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 3 (1) है-मूल चट्टान से एस्बेस्टस फाइबर का निष्कर्षण-विनिर्माण नहीं- यह आवश्यक नहीं है कि जिस वस्तु का अतिरिक्त शुल्क का उदग्रहित किया जाना है उसी प्रकार का विनिर्मित या उत्पादित हो जिसप्रकार का विनिर्मित या उत्पादित किया गया है।

अतिरिक्त सीमा शुल्क- उदग्रहण अमान्य किया गया निर्धारिती की धनवापसी - उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के परिणामस्वरूप निर्धारिती ने पचास प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किया गया -परिणामस्वरूप निर्धारिती के पक्ष में निर्णय लिया- ऐसी परिस्थितियों में पहले से ही भुगतान किए गए शुल्क का धनवापसी वांछनीय नहीं है-लेकिन निर्धारिती को अतिरिक्त राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया गया।

उच्चतम न्यायालय नियम, 1966: आदेश VII-नियम 2

निर्णय-एक उच्चतर पीठ के लिए संदर्भ-निर्णय का विभाजन-की अनुमति

पूर्व निर्णय - निर्णय पुनर्विचार - लंबे समय तक धारण करने वाले निर्णय- अगर जनहित के लिए आवश्यक हो कि कानून की सही व्याख्या की जाए इस पर पुनर्विचार हो।

अपीलार्थी, जो कि कच्चे माल के रूप में एस्बेस्टस फाइबर का उपयोग करते हैं, उसका भारत में आयात किया। यह आयात वर्ष 1986 से पहले किया गया था। इस वस्तु पर सीमा शुल्क विभाग ने धारा 3 (1) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के तहत अतिरिक्त सीमा शुल्क की माँग किया। अपीलार्थी ने अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाए जाने के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में कई रिट पीटीशन दाखील किया।

अपीलार्थी का निम्नलिखित बातों को लेकर विरोध था कि

(1) एस्बेस्टस फाइबर जिसका आयात किया गया था उसका विनिर्माण या उत्पादन भारत में नहीं किया जाता है और धारा 3 (1) के अन्तर्गत अतिरिक्त सीमा शुल्क तभी लगाया जा सकता है जिस वस्तु का उत्पादन और विनिर्माण भारत में किया जाता है।
(2) एस्बेस्टस फाइबर का विनिर्माण या प्रसंस्करण नहीं किया जाता है अतः इस अतिरिक्त सीमा शुल्क नहीं लगेगा। उच्च न्यायालय ने याचिका को निरस्त कर दिया और इस बात पर सहमत हुआ कि एस्बेस्टस फाइबर का चट्टान से अलग करना विनिर्माण की एक प्रक्रिया है इसलिए उसपर उत्पादन शुल्क उदग्रहित किया जाएगा अगर इसका उत्पादन या विनिर्माण नहीं किया जाता है तो उस उदग्रहण है कि आइटम 22 F में होगा।

उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस निर्णय हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ [1995] 5 एस. सी. सी. 338, के रिपोर्ट। इस न्यायालय ने अभिनिहित किया कि एस्बेस्टस फाइबर केंद्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम, 1994 की पहली अनुसूची की आइटम 22 एफ द्वारा आच्छादित किया गया था, मूल चट्टान से एस्बेस्टस फाइबर का पृथक्करण निर्माण की प्रक्रिया का परिणाम नहीं था और यह एक नई और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य वस्तु नहीं थी और उत्पाद शुल्क के लिए अधिरोपित नहीं किया जा सकता है।

खंडेलवाल इंजीनियरिंग वर्क्स बनाम भारत संघ, [1985] 3 एस. सी. सी. 620, के निर्णय पर इस न्यायालय ने भरोसा रखते हुए भारत संघ की ओर से इस प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी द्वारा आयातित एस्बेस्टस फाइबर पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है, इस तथ्य पर विचार किए बिना कि इसका उत्पादन विनिर्माण परिणामस्वरूप नहीं किया गया था और इसलिए यह उत्पाद शुल्क के लिए उपयुक्त नहीं था। तीन न्यायाधीशों की पीठ का यह विचार था कि खंडेलवाल मेटल एंड इंजीनियरिंग वर्क्स के मामले में निर्णय को एक उच्चतर पीठ द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है। अतः इन अपीलों की सुनवाई पाँच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की गई।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने न्यायमूर्ति कृपाल (स्वयं और न्यायमूर्ति भरुच और न्यायमूर्ति कादरी) ने अभिनिर्धारित किया कि

1. अपीलार्थी सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के तहत कोई शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। इसलिए उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज करके गलती की।

2. तीन न्यायाधीशों की पीठ ने जो निष्कर्ष निकाला वह यह था कि मूल चट्टान से एस्बेस्टस फाइबर का अलग होना निर्माण की प्रक्रिया का परिणाम नहीं था और यह एक नई और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य वस्तु नहीं थी और इसलिए, उत्पाद शुल्क के लिए उत्तरदायी नहीं थी। टैरिफ आइटम 22 एफ के तहत उत्पाद शुल्क के लिए एस्बेस्टस फाइबर की अनिवार्यता के बारे में प्रश्न उस निर्णय द्वारा से निधारित होता है। भारत सरकार को उस प्रश्न को फिर से पूछने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसका पहले से ही तय है। इस पीठ के समक्ष जो प्रश्न प्रस्तुत है वह यह कि क्या खंडेलवाल इंजीनियरिंग के मामले में निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। यह मामले का एकमात्र पहलू है जिस पर बड़ी पीठ द्वारा विचार किया जाना है। [478 - एच; 479-ई-जी]

3. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 (1) में अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रावधान है। यह शुल्क सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 12 के तहत सीमा शुल्क के अलावा है, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 के साथ पढ़ा जाता है। दूसरा, यह शुल्क उस आयातित वस्तु पर उसी बराबर की दर से लगाया जाएगा जिस वस्तु पर भारत में विनिर्माण उत्पादन पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। इस उप-धारा का स्पष्टीकरण इस अभिव्यक्ति के अर्थ का विस्तारित करता है कि "भारत में उत्पादित या निर्मित होने वाली वस्तु पर उस समय पर जो उत्पाद शुल्क लगाया गया है। वहीं शुल्क लगाया जाएगा। उक्त स्पष्टीकरण के दो अंग हैं। पहला अंग स्पष्ट करता है कि उप-धारा (1) के तहत प्रभार्य शुल्क उस समय के लिए उत्पाद शुल्क होगा जो भारत में उत्पादित या निर्मित समान वस्तु पर लगाया जा सकता है। स्पष्टीकरण द्वारा इस प्रकार अतिरिक्त शुल्क लगाने के लिए पूर्ववर्ती शर्त यह है कि वस्तु का उत्पादन या निर्माण भारत में किया जाता है। व्याख्या का दूसरा अंग एक ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां "एक समान वस्तु का उत्पादन या निर्माण नहीं किया जाता है"। "सो" शब्द के उपयोग का तात्पर्य है कि दूसरे अंग में संदर्भित उत्पादन या निर्माण पहले अंग में उस अभिव्यक्ति के उपयोग से संबंधित है, जो भारत में उत्पादित या निर्मित होने वाली समान वस्तु का है। "यदि भारत में उत्पादित या निर्मित" खुराक का तात्पर्य यह नहीं है कि वह वस्तु वास्तव में उत्पादित की जानी चाहिए या भारत में निर्मित। स्पष्टीकरण के अनुसार यदि कोई आयातित वस्तु वह है जिसका निर्माण या उत्पादन किया गया है, तो इसके लिए अनुमान लगाया जाना चाहिए।

धारा 3 (1) का उद्देश्य यह है कि ऐसी वस्तु का निर्माण या उत्पादन इसी तरह भारत में किया जा सकता है। किसी निर्मित या उत्पादित वस्तु के आयात पर धारा 3 के तहत अतिरिक्त शुल्क आकर्षित करने के उद्देश्य से भारत में इसी तरह की वस्तु का वास्तविक निर्माण या उत्पादन आवश्यक नहीं है। के उद्देश्य के लिए यह कहते हुए कि धारा 3 (1) के तहत अतिरिक्त शुल्क की कितनी राशि, यदि कोई हो, देय है।

सीमा शुल्क अधिनियम के अनुसार, यह कल्पना की जानी चाहिए कि आयातित वस्तु का निर्माण या उत्पादन भारत में किया जाता तो उत्पाद शुल्क की कितनी राशि देय थी। [482 - डी-एच; 483-ए-सी]

थर्मेक्स प्राइवेट लिमिटेड v. सीमा शुल्क कलेक्टर, बॉम्बे, [1992] 4 एससीसी 440, व्याख्या की गयी है।

4. सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 12 आयातित वस्तुओं पर शुल्क लगाती है।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 में निर्दिष्ट दरों पर भारत सरकार सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 2 में कहा गया है कि सीमा शुल्क अधिनियम के तहत सीमा शुल्क की दरें वे हैं जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की पहली और दूसरी अनुसूचियों में निर्दिष्ट हैं। दूसरी ओर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के तहत अतिरिक्त शुल्क का उद्ग्रहण उस समान वस्तु पर उत्पाद शुल्क के बराबर है जो भारत में उत्पादित या निर्मित होने पर भारत में आयात किया जाता है। भारत में आयातित वस्तु पर धारा 3 (1) के तहत अतिरिक्त शुल्क की दर सीमा शुल्क की पहली और दूसरी अनुसूची से संबंधित नहीं है। लेकिन यह अधिनियम अतिरिक्त शुल्क यदि देय हो तो उत्पाद शुल्क के बराबर होना चाहिए जो उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत देय है। यह स्वयं दर्शाता है कि अतिरिक्त शुल्क लगाने के लिए प्रभार अनुभाग सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 12 नहीं है, बल्कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1973 की धारा 3 है। इसके अलावा धारा 3 की उप-धाराएँ (3), (5) और (6) उप-धारा (1) के तहत अतिरिक्त शुल्क को देय होने के रूप में संदर्भित करती हैं। [483 - डी-जी]

5. विभिन्न अधिनियमों और नियमों के तहत विभिन्न प्रकार के सीमा शुल्क लगाए जाते हैं। उनमें से कुछ सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 12 और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 3 (1), 3 (3) और 9 ए के तहत प्रभार्य हैं। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 दो अलग-अलग स्वतंत्र अधिनियम हैं। केवल इसलिए कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत कर की घटना भारत में वस्तुओं के आयात पर उत्पन्न होती है, इसका यह अर्थ नहीं है कि सीमा शुल्क

अधिनियम किसी ऐसे शुल्क के प्रभार के लिए प्रावधान नहीं कर सकता है जो सीमा शुल्क अधिनियम के तहत देय सीमा शुल्क से स्वतंत्र है। [483 - एच; 484-ए-सी]

6. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की साधारण भाषा के अलावा भी उस खंडों के नोट्स से भी यह पता चलता है कि विधायिका का यह आशय है कि अतिरिक्त सीमा शुल्क उतना ही लगाया जाएगा जितना का वस्तु का उत्पादन एवं निर्माण शुल्क भारत में उत्पादित होने पर लगाया जाता है। यह इसलिए आवश्यक है भारत में उत्पादित या विनिर्मित की सुरक्षा की जाएगी।

धारा 3 सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 को प्रतिपूरक शुल्क नहीं कहा जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि धारा 3 के तहत यह शुल्क एक आयातित वस्तु पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की दृष्टि से है ताकि उत्पाद शुल्क को संतुलित किया जा सके। स्वदेशी रूप से बनाई गई समान वस्तु पर देय शुल्क। [485 - बी-ई-जी]

7. खंडेलवाल मेटल एंड इंजीनियरिंग वर्क्स मामले में निर्णय यह प्रभाव कि सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क केवल उस वस्तु के आयात पर लगाया जा सकता है, भले ही वह भारत में निर्मित या उत्पादित न हो, सही नहीं प्रतीत होता है क्योंकि उक्त निष्कर्ष इस आधार पर आधारित है कि दोनों अधिनियमों में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि अतिरिक्त शुल्क क्या है शुल्क अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत लगाया जाने वाला सीमा शुल्क सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 12 के तहत लगाए जाने वाले सीमा शुल्क से स्वतंत्र है। अतिरिक्त शुल्क का उद्ग्रहण उत्पाद शुल्क को संतुलित करने के लिए अतिरिक्त शुल्क तभी लगाया जा सकता है जब समान वस्तु पर उत्पाद शुल्क लगाया जा सके। खंडेलवाल इंजीनियरिंग वर्क्स मामले में निर्णय जहाँ तक यह एक विपरीत दृष्टिकोण है और सही कानून निर्धारित नहीं करती है।

खंडेलवाल मेटल एंड इंजीनियरिंग वर्क्स बनाम। भारत संघ, [1985] 3 एस. सी. सी. 620, आंशिक रूप से खारिज।

हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य।, [1995] 5 सुप्रीम कोर्ट केस 338 ने पुष्टि की।

भारत का खनिज और धातु व्यापार निगम। ऑफ इंडिया लिमिटेड v. भारत संघ, [1972] 2 एस. सी. सी. 620 और मोती लैमिनेटर (पी) लिमिटेड v. सी. सी. ई., [1995] 3 एस. सी. सी. 23, संदर्भित।

एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नेचुरल केमिकल एनालिसिस, वॉल्यूम। II; ब्रुसेल्स नामकरण, संदर्भित। 8. एक निर्णय जो लंबे समय से है। उसका पुनर्विचार किया जाता है

यदि लोक हित के लिए आवश्यक है और कानून की विस्तृत सही व्याख्या कर कानून में की जाए जहां अंतिम बोझ आम आदमी पर पड़ता है। [487 - डी-ई]

9. इन अपीलों के लंबित रहने के दौरान अंतरिम आदेश पारित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित-अपीलकर्ताओं ने मांग का पचास प्रतिशत भुगतान किया। आम तौर पर अपीलों की अनुमति दिए जाने के साथ भुगतान किए गए अतिरिक्त शुल्क की वापसी का परिणाम निम्नलिखित होता है।

खंडेलवाल मेटल एंड इंजीनियरिंग मामले के निर्णय को चौदह साल बाद आंशिक रूप से खारिज कर दिया गया है। इस प्रकार सरकारी खजाने में भुगतान किए गए अतिरिक्त शुल्क की वापसी की आवश्यकता न्यायसंगत नहीं होगी। साथ ही इन अपीलों में सफल होने वाले अपीलार्थियों को अतिरिक्त भुगतान करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। अवैध मांग के लिए राशि। नतीजतन, अपीलार्थियों से अतिरिक्त शुल्क की मांग रद्द कर दी जाती है, लेकिन प्रतिवादी अपीलार्थियों से अब तक प्राप्त किसी भी अतिरिक्त शुल्क को वापस करने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। [487 - बी-ई]

राजेंद्र बाबू न्यायमूर्ति के अनुसार (आंशिक रूप से असहमत)

1. यदि कार्यवाही के कारण को अलग-अलग चरणों में अलग-अलग तरीके से परिभाषित किया गया तो और न्यायाधीशों की अलग-अलग संख्या से बनी पीठें कोई भी आदेश दिया गया है जिसने अंतिमता प्राप्त कर ली है या जिसे निर्णायक चरित्र मिला है, तो ऐसा आदेश पक्षों के बीच न्यायिक आधार के रूप में मान्य हो सकता है। ताकि उसी मामले के बाद के चरणों में फिर से नहीं खोला जा सके लेकिन ऐसे मामले में जहां कोई निर्णय कई कारकों पर निर्भर है जैसा कि वर्तमान मामले में है कि क्या उत्पाद शुल्क का अतिरिक्त शुल्क विचाराधीन अनुच्छेद की ओर आकर्षित होता है, मामले के एक पहलू को पीठ द्वारा तय किया गया स्वीकार्य किया जा सकता है जबकि अन्य पहलुओं को बड़ी पीठ द्वारा तय किया जाने का अनुशंसित इस तरह से निर्णय का विभाजन नहीं किया जा सकता है। [487 - एच; 488-ए-सी]

2. उच्चतम न्यायालय नियम, 1966 के आदेश VII में प्रथम न्यायालय के संविधान का प्रावधान है। प्रभाग न्यायालय और एकल न्यायाधीश की शक्तियाँ। आदेश VII के नियम 2 में विचार किया गया है कि जब कोई पीठ विचार करती है कि मामले को निपटाया जाना चाहिए। एक वृहत न्यायपीठ द्वारा यह मामले को सुनवाई के लिए एक उपयुक्त न्यायपीठ के गठन के लिए मुख्य न्यायाधीश को भेजेगा। इसलिए, यह एक सवाल नहीं है, बल्कि पूरा कारण, अपील या अन्य कार्यवाही है जो बड़ी पीठ को भेजी जाती है। जहां बड़ी पीठ को लगता है कि उसे केवल एक प्रश्न या प्रश्नों पर विचार करना चाहिए, वह ऐसा कर

सकती है और अन्य प्रश्नों को एक छोटी पीठ द्वारा विचार करने के लिए छोड़ सकती है। दो निर्णय नहीं हो सकते हैं-एक मामले के एक पहलू का निर्णय करने वाली छोटी पीठ द्वारा और दूसरा मामले के दूसरे पहलू का निर्णय करने वाली बड़ी पीठ द्वारा। [488 - सी-एफ]

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए इस बात पर गंभीर आपत्ति होनी चाहिए कि वस्तु की प्रकृति के संदर्भ में व्यक्त किया गया निर्णय अंतिम हो गया है। हालाँकि, इस मामले पर कोई विचार अंततः व्यक्त नहीं किया गया है क्योंकि संदर्भ के क्रम में निष्कर्ष दलीलों के दौरान पक्षों द्वारा किए गए कथनों पर आधारित है। यदि पक्ष स्वयं समझते हैं। इस तरह से मामले में इन पहलुओं में जाना और संदर्भ के क्रम में जो कहा गया है उससे अलग निष्कर्ष देना अनावश्यक है। मामले के गुण-दोष पर, संदर्भ के क्रम में व्यक्त विचार और हालाँकि, आरक्षण के लिए बहुमत विषय द्वारा प्रस्तावित आदेश में कहा गया है ऊपर से सहमत हैं। [488 - जी-एच; 489-ए]

शाह न्यायमूर्ति के अनुसार (आंशिक रूप से असहमति)

यह अभिनिर्धारित करने के लिए अभिलिखित कारण है कि मामले में निर्धारित अनुपात खंडेलवाल मेटल एंड इंजीनियरिंग वर्क्स के मामले में इस प्रभाव के लिए कि सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क केवल वस्तु के आयात पर लगाया जा सकता है, भले ही वह भारत में निर्मित या उत्पादित न हो, निर्णय सही नहीं लगती है, और इसके साथ सहमति व्यक्त की जाती है। [489 - बी-सी]

1.2 हालाँकि, सवाल यह है कि क्या एस्बेस्टस फाइबर का पृथक्करण खानों से खुदाई की गई मूल चट्टान एक विनिर्माण प्रक्रिया है जिसे टैरिफ के साथ पठित धारा 2 (एफ) के अर्थ के भीतर किया जाता है उत्पाद शुल्क अधिनियम की पहली अनुसूची की वस्तु 22 एफ इस संदर्भ में नहीं दी गई है। एस्बेस्टस फाइबर बिजली का उपयोग करने के बाद यांत्रिक प्रक्रिया सहित विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा बाहर निकाला जाता है और यह 'कच्ची चट्टान' से बाजार में ज्ञात एक अलग पदार्थ (माल) है। अतः उक्त प्रश्न पर गंभीर आपत्ति है। लेकिन जैसा कि पक्षकारों द्वारा उक्त प्रश्न को अंतिम रूप से संदर्भ के समय तय किया गया माना जाता है, इस संदर्भ को तय करते समय इस पर विचार या विचार नहीं किया जाता है। [489 - सी-ई]

सिविल अपील न्यायनिर्णय: 1980 की सिविल अपील सं. 1354 आदि।

1978 में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 23.5.80 के निर्णय और आदेश से सी. डब्ल्यू. पी. सं. 48, सी. एस. वैद्यनाथन, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, एच. एन. साल्वे, डी. ए. डेव, ए. के. गांगुली, वी. ए. बोबडे, टी. विनोद कुमार, सुश्री गौरी रसगोत्रा, आजी भार्गव, सुश्री पूर्णिमा सिंह, सुश्री रोहिना नाथ, यू. के. खेतान, सुमन, आर. एन. पॉल, राहुल

राय, सुश्री पूर्णिमा भट, अशोक एच. देसाई, पी. एच. पारेख, कृष्ण महाजन, रविंदर नारायण, सुश्री मोनिका सिंघल, संजीव सेन, सुश्री उर्मिला सिरूर, एन. के. बाजपेयी, दिलीप टंडन, शिवराम, टी. ए. खान, पी. परमेश्वरन, वी. के. उपस्थित दलों के लिए वर्मा, ए. सुब्बा राव, सुश्री प्रवीणा गौतम, पी. बी. अग्रवाल और सुश्री आर. दीपमाला पक्षकारो की और से उपस्थित है।

किरपाल न्यायमूर्ति द्वारा न्यायालय का निर्णय उदघोषित किया गया विशेष अनुमति द्वारा इन अपिलों में अपीलार्थी द्वारा धारा 3 (1) के तहत सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क कान निधारण एस्बेस्टस फाइबर के आयात पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 को चुनौती दी गई है।

अपीलार्थी, जो कच्चे माल के रूप में एस्बेस्टस फाइबर का उपयोग करते हैं, उसका भारत में आयात किया। हम उन मामलों में विचारण करेंगे जिसका आयात 1986 के पूर्व उसने भारत में आयात किया है। उन आयातों पर जो 1986 के पूर्व किया है। विभाग द्वारा उस अतिरिक्त सीमा शुल्क की मांग अधिनियम की धारा 3 (1) के अन्तर्गत की गई है। अपीलार्थी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अतिरिक्त सीमा शुल्क एस्बेस्टस आयातित वस्तु पर नहीं अधिरोपित किया जा सकता है क्योंकि इसका विनिर्माण या उत्पादन नहीं किया जाता बल्कि यह प्राकृतिक रूप से धातु के रूप में पाया जाता है। हालांकि कलेक्टर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क हैदराबाद ने 3 अगस्त, 1997 को एक नोटिस जारी किया जिसमें यह विचार प्रस्तुत किया गया कि संसाधित और श्रेणी वह एस्बेस्टस फाइबर का चरित्र एस्बेस्टस चट्टान से भिन्न है और उक्त वस्तु उत्पाद शुल्क अधिनियम की वस्तु 22 एफ के अन्तर्गत आती थी और उसी पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने का दायित्व था। भारत सरकार और वित्त मंत्रालय ने अपीलकर्ता, अर्थात् हैदराबाद एस्बेस्टस सीमेन्ट उत्पादों को वित्त मंत्रालय के 17 अगस्त 1997 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि जिस प्रक्रिया के द्वारा एस्बेस्टस फाइबर प्राप्त किया गया वह निर्माण की एक प्रक्रिया थी और उक्त वस्तु सही ढंग से उत्पाद शुल्क अधिनियम की पहली अनुसूची के 22 एफ के अन्तर्गत आती है। उसका परिणाम यह हुआ कि उक्त अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत मांग इसलिए की गई क्योंकि आयातित वस्तु अर्थात् एस्बेस्टस फाइबर को एक ऐसी वस्तु माना जाता था जो उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत उत्पाद शुल्क के लिए देय थी।

इसके बाद अपीलार्थी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष विभिन्न रिट याचिकाएं दायर की। जिसमें अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह था कि जो एस्बेस्टस फाइबर का आयात किया गया है उसका विनिर्माण या उत्पादन नहीं किया गया है और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 (1) के अनुसार, सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क केवल तभी

अधिरोपित किया जा सकता है जब आयातित वस्तु भारत में उत्पादित एवं निर्मित हो और उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी हो। निवेदन यह था कि एस्बेस्टस फाईबर का कोई निर्माण या अन्य प्रक्रिया नहीं हुई थी और इसलिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा सकता था।

उत्तरदाता ने रिट पीटिशन में यह तर्क स्वीकार करने के लिए दिया था कि जो चट्टान से एस्बेस्टस फाईबर निकाला जाता है वह विनिर्माण की एक प्रक्रिया है इस प्रकार उसपर उत्पाद शुल्क लगाया गया था जिसके परिणामरूप सीमा शुल्क की धारा 3 (1) के अन्तर्गत आयातित एस्बेस्टस फाईबर पर भारत अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकेगा और रिट को निरस्त कर दिया।

विशेष अनुमति याचिका द्वारा इन अपीलों को सुनवाई तीन सदस्यीय न्यायपीठ द्वारा की गई। उच्च न्यायालय द्वारा विचारित तथ्यों का विश्लेषण करने एवं इसाइकलोपीडिया ऑफ निचुरल केमेकिल एनालिसिस भॉल्यूम 2 और ब्रुसेल्स का उल्लेख करके हुए हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (1995) 5 सुप्रीम कोर्ट केसेस के पेज 358 के पैरा 342 में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित बातों को प्रस्तुत किया।

हम अपने समक्ष प्रस्तुत तथ्यों से संतुष्ट हैं और जैसा कि अपने उपर उद्धृत निर्णय में संकित भी किया है कि सभी अपीलकर्ता सिविल अपील नम्बर 1354/1980 के अन्तर्गत यह स्वीकार करते हैं कि एस्बेस्टस चट्टान से मैनुअल या मैकेनिकल माध्यम से निकाला जा सकता है और चट्टान में एस्बेस्टस भारत संज्ञ की और से यह तर्क उठाया गया कि जो अपीलार्थी द्वारा एस्बेस्टस फाईबर का आयात किया गया है वह अतिरिक्त शुल्क के लिए दायित्वाधीन है क्योंकि इसका उत्पादन विनिर्माण का नतीजा नहीं है इसलिए यह उत्पाद कर के लिए माँग योग्य नहीं है। इसके समर्थन में उन्होंने खंडेवाल मेटल और इंजनियरिंग वर्क्स बनाम भारत संज्ञ पर विश्वास किया। इस निर्णय के अवलोकन करने के पश्चात पीठ ने खण्डेवाल मेटल और इंजनियरिंग वर्क्स के निर्णय को उच्चतर पीठ विचार किया जाना चाहिए। इस आधार पर एक उच्चतर पीठ का गठन किया गया।

एस विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सी०एस० वैद्यनाथन ने अनुरोध किया और यह तर्क दिया कि उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचने में सही था कि मूल चट्टान से एस्बेस्टस फाइबर का पृथक्करण विनिर्माण का परिणाम था। इसलिए उत्पाद शुल्क का अधिरोपण उचित था भले ही इसका निर्माण या उत्पादन नहीं किया गया हो, उत्पाद शुल्क है आइटम 22 एफ के अन्तर्गत अधिरोपीण।

उपरोक्त प्रश्न पर विस्तार से विचार किया गया था और इसी मामले में राजस्व के खिलाफ निर्णय लिया गया था जब तीन न्यायाधीशों की पीठ ने उपर उल्लेखित निर्णय में

इसकी सुनवाई की थी। जिस निष्कर्ष पर पहुँचा गया वह यह था कि मूल चट्टान से एस्बेस्टस फाईबर को अलग करना निर्माण की प्रक्रिया का परिणाम नहीं था और यह एक नयी और व्यवसायिक रूप से व्यवहार्य वस्तु नहीं थी और इसलिए उत्पाद शुल्क के लिए उत्तरदायी नहीं थी। टैरिफ आइटम 22 एफ के तहत उत्पाद शुल्क के लिए एस्बेस्टस फाईबर की अनिवार्यता के बारे में सवाल इस प्रकार उक्त निर्णय से समाप्त होता है।

धातु अपनी पूर्ण अवस्था में पायी जाती है और इसका विनिर्माण किया जातना आवश्यक नहीं है और अपीलार्थी ने इसका विनिर्माण नहीं किया है और ना ही कोई अलग वस्तु निगल कर उसका विनिर्माण किया जाता है।

पीठ ने इस न्यायालय में कई पूर्ववर्ती निर्णयों का उद्धरित किया है जो कि मिनरल्स एंड मेटल टैडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम भारत संघ (1972) 2 SCC 620 और मोती लिमिटेड (P) लिमिटेड Vs सीसीई S(1995) 3 SCC 23 और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया।

मान लीजिए कि टैरिफ आइटम 22 A जब यह एस्बेस्टस फाईबर एवं यान को संदर्भित करता है एस्बेस्टस फाईबर का मतलब है जो कि मूल रूप में उस चट्टान से निकाला जाता है उसी रूप में जो उस चट्टान में है और यह कोई विनिर्माण प्रक्रिया कि देन नहीं और यह कोई नया या वाणिज्यिक आइडेंटिफिकसन धातु नहीं है अतः उत्पाद शुल्क के लिए उत्तरदायी नहीं है।

अपीलार्थी द्वारा यह आयातित किया जाता है यह विवादित नहीं है एस्बेस्टस फाईबर जिसे अपने मूल चट्टान से इस तरह से अलग किया है उपर बताया गया है।

भारत संज्ञ को इस प्रश्न को फिर से आंदोलन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो पहले से ही तय हो चुका है। इस पीठ को जी भेजा गया है वह यह है कि क्या खंडेलवाद इंजीनियरिंग के मामले में निर्णय पर पुनः विचार की आवश्यकता है। यह मामले को एक मात्र पहलू है जिस पर हमें खुद को संबोधित करना है। ऐसा करने में हम इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि यह निष्कर्ष निकाला गया है कि आयातित एस्बेस्टस फाईबर के निर्माण की कोई प्रक्रिया नहीं हुई थी और यह उत्पाद शुल्क के लिए उत्तरदायी नहीं था।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1961 का अध्याय 5 सीमा शुल्क लगाने और उससे छुट देने से संबंधित है। धारा 12 जो इस अध्याय में निहित है इस प्रकार निम्नलिखित है।

धारा 12 शुल्क योग्य वस्तु (1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में अन्यथा उपबंधित किए जाने के अलावा, सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के तहत भारत में आयातित या निर्यात को जाने वाली वस्तुओं पर निर्दिष्ट की जा सकती है।

(2) उपधारा (1) के प्रावधान सरकार से संबंधित सभी वस्तुओं के संबंध में उसी तरह लागू होंगे जैसे कि वस्तुओं के संबंध में लागू होते हैं।

सीमा टैरिफ अधिनियम, 1975 को लागू किया गया था ताकि सीमा शुल्क से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित किया जा सके। उक्त अधिनियम की धारा 2 और 3 निम्नानुसार हैं:

" 2. अधिरोपित की जाने वाली अनुसूचियों में निर्दिष्ट शुल्क-वे दरें जिन पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 पहली और दूसरी अनुसूचियों में निर्दिष्ट किए गए हैं उसी के तहत सीमा शुल्क लगाया जाएगा।

3. उत्पाद शुल्क के बराबर अतिरिक्त शुल्क का शुल्क-(1) कोई भी वस्तु जो भारत में आयात की जाती है, इसके अलावा, एक शुल्क के लिए उत्तरदायी होगी।

इस धारा में, जिसे अतिरिक्त शुल्क के रूप में संदर्भित किया गया है) भारत में उत्पादित या निर्मित समान वस्तु पर कुछ समय के लिए अधिरोपणीय उत्पाद शुल्क के बराबर है और यदि समान वस्तु पर ऐसा उत्पाद शुल्क उसके मूल्य के किसी भी प्रतिशत पर अधिरोपणीय है, तो अतिरिक्त आयातित वस्तु जिस शुल्क के लिए उत्तरदायी होगी, उसकी गणना आयातित वस्तु के मूल्य के उस प्रतिशत पर की जाएगी।

स्पष्टीकरण-इस धारा में, "भारत में उत्पादित या निर्मित होने वाली समान वस्तु पर कुछ समय के लिए अधिरोपणीय उत्पाद शुल्क" पद का अर्थ है उस समय लागू उत्पाद शुल्क जो भारत में उत्पादित या निर्मित होने पर समान वस्तु पर अधिरोपणीय होगा या, यदि समान वस्तु का इस प्रकार उत्पादन या निर्माण नहीं किया जाता है, जो उन वस्तुओं के वर्ग या विवरण पर अधिरोपणीय होगा जिनसे आयातित वस्तु संबंधित है और जहां ऐसा शुल्क अलग-अलग दरों पर अधिरोपणीय है, तो उच्चतम शुल्क।

(2) इस धारा के तहत किसी भी आयातित वस्तु पर अतिरिक्त शुल्क की गणना करने के उद्देश्य से, जहां ऐसा शुल्क उसके मूल्य के किसी भी प्रतिशत पर अधिरोपणीय है, आयातित वस्तु का मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (52/1962) की धारा 14 में कुछ भी निहित होने के बावजूद होगा।

(i) उक्त धारा 14 की उप-धारा (1) के तहत निर्धारित आयातित वस्तु का मूल्य या उस धारा की उप-धारा (2) के तहत निर्धारित ऐसी वस्तु का शुल्क मूल्य, जैसा भी मामला हो; और (ii) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (52/1962) की धारा 12 के तहत उस वस्तु पर प्रभावी कोई भी सीमा शुल्क, और उस वस्तु पर उस समय लागू किसी भी कानून के तहत अतिरिक्त रूप से और उसी तरीके से प्रभावी कोई भी राशि सीमा शुल्क, लेकिन इसमें उपधारा (1) में निर्दिष्ट शुल्क शामिल नहीं है।

(3) यदि केंद्र सरकार संतुष्ट है कि किसी भी आयातित वस्तु पर (चाहे ऐसी वस्तु पर शुल्क उप-धारा (1) के तहत अधिरोपणीय हो या न हो) ऐसा अतिरिक्त शुल्क लगाने के लिए लोक हित, में आवश्यक है, जो किसी भी कच्चे माल, घटकों और सामग्री पर अधिरोपित उत्पाद शुल्क को उसी प्रकृति के समतुल्य बनाएगा, जिसका उपयोग ऐसी वस्तु के उत्पादन या निर्माण में किया जाता है।

आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना, यह निर्देश देती है कि ऐसी आयातित वस्तु, इसके अलावा, ऐसे कच्चे माल, घटकों और अवयवों पर लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क के ऐसे हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त शुल्क के लिए उत्तरदायी होगी, जो किसी भी मामले में इस संबंध में केन्द्रीय सरकार बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

4. उप धारा (3) के प्रयोजनों के लिये कोई भी नियम बनाने में केन्द्रीय सरकार को उपयोग किये गये कच्चे माल, घटकों या अवयवों पर देय शुल्क इस तरह की वस्तु के उत्पादन या निर्माण में उत्पाद शुल्क की औसत मात्रा का ध्यान रखना होगा।

5. इस धारा के तहत प्रशार्य शुल्क किसी के अतिरिक्त होगा। इस अधिनियम के तहत या उस समय के लिये किसी अन्य कानून के तहत लगाया गया अन्य कर्तव्य बाध्य होगा।

6. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधान और विनियम भी शामिल हैं वापसी, धनवापसी और शुल्कों से छुट जहां तक हो सके, इस धारा के तहत प्रशार्य शुल्क पर लागू करे जैसा कि वे लागू होते हैं उस अधिनियम के तहत देय कर्तव्यों के संबंध में।

सीमा शुल्क टैरिफ, 1975 की धारा 3 (1) में अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रावधान है। यह शुल्क अच शब्दों में धारा-12 उत्पाद शुल्क अधिनियम के अतिरिक्त होता है। दूसरा यह शुल्क उसी दर से लगाया जाता है जिस दर से उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। इस धारा का स्पष्टीकरण उस अर्थ को और विसृत रूप प्रदान करता है। ” इस धारा का स्पष्टीकरण उस बात पर महत्व डालता है भारत में विनिर्माण शब्द ”भारत में उत्पादित या विनिर्मित” का तात्पर्य यह नहीं है कि यह वस्तु वास्तव में उत्पादित या विनिर्मित भारत में हो। स्पष्टीकरण के अनुसार यदि आयातित वस्तु उत्पादित या विनिर्मित किया गया है तो धारा 3 (1) के अंतर्गत विनिर्मित या उत्पादित माना जायेगा। धारा 3 (1) के अंतर्गत विनिर्मित या उत्पादित वस्तु का तात्पर्य यह जरूरी नहीं है कि वह भारत में उत्पादित या विनिर्मित हो।

धारा 3 के दो अंग हैं। पहला अंग स्पष्ट करता है कि उपधारा (1) के तहत उत्पाद शुल्क देय होगा यदि वह वस्तु भारत में उत्पादित या निर्मित किया जाता है। स्पष्टीकरण द्वारा विचार किया गया है कि अतिरिक्त शुल्क के उदग्रहण के लिए पूर्ववर्ती शर्त यह है कि

वह वस्तु का उत्पादन या विनिर्माण भारत में किया गया। व्याख्या के लिए दूसरा अंग ऐसी स्थिति से संबंधित है जहाँ एक समान वस्तु का उत्पादन या निर्माण नहीं किया जाता है। “सो” शब्द के उपयोग का तात्पर्य है कि उत्पादन एवं निर्माण से संदर्भित है। दूसरे अंग में पहले अंग में, उस अभिव्यक्ति के उपयोग से संबंधित है, जो भारत में उत्पादित या निर्मित होने वाले सामान्य वस्तु की है।

“यदि भारत में उत्पादित या निर्मित” शब्दों का अर्थ यह नहीं है कि कोई वस्तु भारत में उत्पादित या निर्मित हुआ है। स्पष्टीकरण के अनुसार यदि आयातित वस्तु वह है जिसका निर्माता या उत्पादित किया गया है तब वह धारा 3 (1) के उद्देश्य यह उपधारणा होना चाहिए कि इसी तरह की वस्तु भारत में निर्मित या उत्पादित हो। धारा 3 के अन्तर्गत आर्कषक अतिरिक्त शुल्क के आवश्यक नहीं है कि निर्मित या उत्पादित वस्तु वास्तव में निर्मित या उत्पादित हो।

जैसा कि इस न्यायालय ने थर्मेक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम. सीमा शुल्क कलेक्टर, बॉम्बे, [1992] 4 एस. सी. सी. 440 पृष्ठ 452-453 पर कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 (1) "विशेष रूप से यह आदेश देती है कि सी. वी. डी. उस समय के लिए उत्पाद शुल्क के बराबर होगा जो भारत में उत्पादित या निर्मित समान वस्तु पर लगाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, हमें यह भूलना होगा कि माल का आयात किया जाता है, कल्पना करें कि आयातक ने भारत में माल का निर्माण किया था और उत्पाद शुल्क की राशि निर्धारित करें जो उस स्थिति में उसे भुगतान करने के लिए कहा जाता। हमारे दिमाग में सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 3 (1) की उत्पत्ति को इस न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणियों में सामने लाया गया है, अर्थात्, यह कहने के उद्देश्य से कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत अतिरिक्त शुल्क की कितनी राशि, यदि कोई हो, देय है, यह कल्पना की जानी चाहिए कि आयातित वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन भारत में किया गया था और फिर यह देखने के लिए कि उस पर उत्पाद शुल्क की कितनी राशि देय थी।

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 12 भारत में आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 में निर्दिष्ट दरों पर शुल्क लगाती है। जब हम सीमा टैरिफ अधिनियम 1975 की ओर देखते हैं, तो धारा 2 जिसमें कहा गया है कि सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत सीमा शुल्क की दरें वे हैं जो सीमा टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली और दूसरी अनुसूचियों में निर्दिष्ट हैं। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 12 में सीमा टैरिफ अधिनियम 1975 के किसी भी विशिष्ट प्रावधान का कोई संदर्भ नहीं है। दूसरे शब्दों में आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाने का निर्धारण करने के उद्देश्य से भारत जो प्रासंगिक है वह सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 12 है जिसे धारा 2 के साथ पढ़ा जाता है।

दूसरी ओर धारा 3 के तहत अतिरिक्त शुल्क लगाना उस समान वस्तु पर लगने वाले उत्पाद शुल्क के बराबर है जो भारत में उत्पादित या निर्मित होने पर भारत में आयात किया जाता है। भारत में आयातित किसी वस्तु पर धारा 3 (1) के तहत अतिरिक्त शुल्क की दर सीमा शुल्क अधिनियम की पहली और दूसरी अनुसूची से संबंधित नहीं है, लेकिन अतिरिक्त शुल्क यदि देय उत्पाद शुल्क के बराबर होना चाहिए जो उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत देय है। यह स्वयं दर्शाता है कि अतिरिक्त शुल्क लगाने के लिए प्रभार अनुभाग सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 12 नहीं है, बल्कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3 है। इसके अलावा धारा 3 की उप-धाराएँ (3), (5) और (6) का उल्लेख है: उप-धारा (1) के तहत अतिरिक्त शुल्क देय है। उदाहरण के लिए, उप-धारा (5) में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धारा 3 के तहत प्रभार्य शुल्क इस अधिनियम के तहत या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत लगाए गए किसी अन्य शुल्क के अतिरिक्त होगा।

विभिन्न अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सीमा शुल्क लगाये जाते हैं जो निम्नलिखित हैं (क) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमा शुल्क (ख) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 को धारा (ग) के सीमा शुल्क जो कि इस वाद में प्रश्नगत है (गढ़ कच्चे माल, धटको और अव्ययों पर लगाये जाने वाला अतिरिक्त शुल्क सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3 (1) के अंतर्गत (घ) सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9 (अ) के तहत प्रभार्य शुल्क। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 दो अलग-अलग स्वतंत्र संविधि हैं। केवल इसलिये कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा-3 के तहत शुल्क भारत में आयत होने वाली वस्तुओं पर लगती है इसका मतलब यह नहीं हुआ यह धारा उन वस्तुओं पर सीमा शुल्क का अधिरोपण नहीं कर सकती जिस पर सीमा शुल्क अधिनियम कर सकती है।

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 भारतीय शुल्क अधिनियम 1934 के बाद का था। शुल्क अधिनियम 1934 की धारा 2 ए में जबाबी शुल्क लगाने का प्रावधान है। इस धारा में यह निर्धारित किया गया है कि भारत में आयात की जाने वाली कोई भी वस्तु यदि भारत में उत्पादित या निर्मित की जाती है तो उस समान वस्तु पर उत्पाद शुल्क के बराबर सीमा शुल्क के लिये उत्तरदायी होगी।

खण्ड 3 शुल्क टैरिफ अधिनियम 1972 के टिप्पण पढ़ने पर यह पता चलता है कि आयतित वस्तुओं पर अतिरिक्त शुल्क भार इसलिए लगाया गया है क्योंकि उन वस्तुओं पर भारत में विनिर्मित किया जाता है तो उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। यह प्रावधान मौजूदा अधिनियम की धारा 2 ए के अनुरूप है और भारत में निर्माता की हितों की रक्षा के लिए आवश्यक है। यह प्रावधान मौजूदा अधिनियम की धारा-2- कि के अनुरूप है और भारत में

निर्माताओं के हितों की रक्षा के लिये आवश्यक है। साधारण भाषा के अतिरिक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के दण्डों के टिप्पण भी भारत में विनिर्माताओं के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से समान वस्तु पर अधिरोपित उत्पाद शुल्क की राशि के बराबर अतिरिक्त शुल्क लगाने को सक्षम बनाने के लिए शुल्क अधिनियम 1975 में एक प्रभार धारा का प्रावधान करने के विधायी इरादे को दर्शाता है। भले ही धारा 3 के तहत लगाये गये शुल्क को जबाबी शुल्क नहीं कहा जाता है लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि धारा 3 के तहत यह शुल्क एक आयातित वस्तु पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के उद्देश्य से है ताकि स्वदेशी रूप से बनायी गयी वस्तु पर लगाये जाने वाले उत्पाद शुल्क को संतुलित किया जा सके। दूसरे शब्दों में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 को भारत में उस तरह के वस्तुओं के वर्तमान या भविष्य के निर्माताओं को समान अवसर प्रदान के लिए अधिनियमित किया गया है।

खण्डेलवाल मेटल एण्ड इंजीनियरिंग वर्क्स के के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रयाप्ता धारा 3 (1) पीतल के कबाड़ के आयात के संबंध में थी। आयतको का तर्क था कि कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जा सकता था क्योंकि आयातित पीतल स्कैप जिसमें क्षतिग्रस्त नल और पाइप जैसी वस्तुओं का भारत में या कहीं और नहीं किया जाता था। यह भी तर्क दिया गया कि धारा 3 (1) तहत समी शुल्क का अतिरिक्त शुल्क केवल तभी लगाया जा सकता है जबकि आयातित कि जाने वाले वस्तुओं का उत्पादन या विनिर्माण भारत में किया जाता हो। इस तर्क पर विचार करके इस न्यायालय ने कहा कि प्रशार्य लगाने की धारा सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 12 थी न कि शुल्क अधिनियम की धारा 3 (1) थी। पृष्ठ संख्या 627 के अवलोकन पर यह पाया गया कि "शुल्क अधिनियम की धारा 3 (1) में निर्दिष्ट शुल्क एक अतिरिक्त शुल्क है, जो सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 12 द्वारा लगाए गए शुल्क को बढ़ाने में और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 12 द्वारा लगाए गए शुल्क को बढ़ाने के लिए एक अलग आधार के साथ लगाया जाता है। दूसरे शब्दों में, धारा 12 में सन्निहित योजना को धारा 3 (1) में दिए गए प्रावधानों द्वारा प्रवर्धित किया जाता है। धारा 12 के तहत लगाए गए सीमा शुल्क को आयातित वस्तुओं तक धारा 3 (1) में उल्लिखित उपाय में सीमित एक अतिरिक्त शुल्क द्वारा बढ़ाया जाता है।

इस प्रकार, शुल्क अधिनियम की धारा 3 (1) में उल्लिखित अतिरिक्त शुल्क जवाबी शुल्क की प्रकृति में नहीं है। पृष्ठ 628 पर इसने अभिनिर्धारित किया कि "हम अपीलार्थियों के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि शुल्क अधिनियम की धारा 3 (1) एक स्वतंत्र, प्रभारित करने वाली धारा है या वह 'अतिरिक्त शुल्क' जिसकी वह बात करता है, सीमा शुल्क का शुल्क नहीं है, बल्कि एक प्रतिगामी शुल्क है।" धारा 3 (1) के स्पष्टीकरण

का उल्लेख करने के बाद पीठ ने पृष्ठ 630 पर कहा कि 'इन प्रावधानों में कोई संदेह नहीं है कि शुल्क अधिनियम की धारा 3 (1) में निर्दिष्ट शुल्क का भारत में आयातित वस्तुओं की प्रकृति और गुणवत्ता के साथ कोई संबंध नहीं है'। इस पहलू पर न्यायालय ने तब पृष्ठ 630 पर टिप्पणी करते हुए निष्कर्ष निकाला कि "इन कारणों से, हमें श्री सोराबजी और अपीलार्थियों के अन्य विद्वान वकील के इस तर्क को अस्वीकार करना चाहिए कि टैरिफ अधिनियम की धारा 3 (1) आकर्षित नहीं है क्योंकि क्षतिग्रस्त वस्तुएं, जो पीतल कबाड़ की प्रकृति की हैं, उसके दायरे से बाहर हैं क्योंकि ऐसी वस्तुएं नहीं हैं और न ही कर सकती हैं।

जिसका उत्पादन या निर्माण किया जाए। इस निष्कर्ष का आधार यह था कि अतिरिक्त शुल्क एक सीमा शुल्क था, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 12 प्रभारी धारा थी, जो भारत में माल के आयात पर अधिरोपित थी और इसका आयातित माल की प्रकृति और गुणवत्ता के साथ कोई संबंध नहीं था। शुल्क को बरकरार रखते हुए पीठ द्वारा दिया गया एक अन्य कारण यह था कि जो पीतल का कबाड़ आयात किया गया था वह एक उप-उत्पाद था और इसलिए, किसी भी मामले में एक निर्मित उत्पाद था।

खांडेवाल मेटल एंड इंजीनियरिंग वर्क्स मामले में निर्णय का प्रभाव यह है कि सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क केवल उस वस्तु के आयात पर लगाया जा सकता है, भले ही वह भारत में निर्मित या उत्पादित न हो, यह सही नहीं प्रतीत होता है क्योंकि उक्त निष्कर्ष इस आधार पर आधारित है कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 12, न कि शुल्क अधिनियम की धारा 3 (1), शुल्क लगाने की धारा है। जैसा कि हम दोनों अधिनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों की सही व्याख्या पर पहले ही देख चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि टैरिफ अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत लगाया जाने वाला अतिरिक्त शुल्क सीमा शुल्क से स्वतंत्र है जो सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 12 के तहत लगाया जाता है। दूसरा, इस मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यह निर्णय दिया है कि यदि वस्तु का उत्पादन या निर्माण किया गया है तो उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है। खंडेलवाल मेटल एंड इंजीनियरिंग वर्क्स मामले में अवलोकन, से यह प्रतीत होता है कि भले ही निर्माण या उत्पादन की कोई प्रक्रिया नहीं हुई हो, फिर भी आयातित वस्तुओं पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है, सही नहीं प्रतीत होता है क्योंकि अतिरिक्त शुल्क लगाने का उपाय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत इसी तरह की वस्तु पर लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क की मात्रा है। उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत शुल्क लगाया जा सकता है, जैसा कि पहले माना गया है, यदि वस्तु उत्पादन या निर्माण के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आई है। दूसरे शब्दों में, जब जिन वस्तुओं का उत्पादन या निर्माण नहीं किया जाता है, उन पर उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जा सकता है, तो सीमा शुल्क अधिनियम के तहत ऐसी वस्तुओं के आयात पर कोई अतिरिक्त

शुल्क नहीं लगाया जा सकता है। अतिरिक्त शुल्क लगाने की दृष्टि से उत्पाद शुल्क को संतुलित करने का प्रावधान करने के लिए, हमारी स्पष्ट राय है कि अतिरिक्त शुल्क केवल तभी लगाया जा सकता है जब समान वस्तु पर उत्पाद शुल्क लगाया जा सके। खंडेलवाल इंजीनियरिंग वर्क्स मामले में निर्णय जहाँ तक विपरीत दृष्टिकोण रखता है, वह सही कानून निर्धारित नहीं करता है। एस. वैद्यनाथन ने तर्क दिया कि इस न्यायालय को उस निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए अनिच्छुक होना चाहिए जो लंबे समय से इस क्षेत्र में है, लेकिन हमारी राय में जनहित की आवश्यकता है कि कानून की अधिक सही व्याख्या की जाए ताकि एक कर कानून में जहां अंतिम बोझ आम आदमी पर पड़ सकता है। हम जल्दबाजी में यह जोड़ते हैं कि हम खंडेलवाल मेटल एंड इंजीनियरिंग वर्क्स मामले में पूरी तरह से फैसला नहीं दे रहे हैं क्योंकि अदालत ने उस मामले में यह भी कहा था कि पीतल का स्क्रेप किसी भी मामले में एक ऐसी वस्तु थी जिसका निर्माण किया गया था और इसलिए उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता था। हमने वर्तमान मामलों में इस बात की जांच नहीं की है कि क्या पीतल के स्क्रेप को एक निर्मित वस्तु के रूप में माना जा सकता है या नहीं, क्योंकि वर्तमान मामलों में यह सवाल नहीं उठता है।

उपरोक्त विवेचना के परिणामस्वरूप यह पता चलता है कि भारत में आयातित एस्बेस्टस फाइबर पर अपीलार्थी सीमा टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के तहत किसी भी शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं थे। इसलिए उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर विवेचना करने में गलती की।

फिर सवाल यह है कि इन अपीलों में क्या राहत दी जानी चाहिए।

प्रत्यर्थियों की ओर से तर्क दिया गया कि सीमा टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के तहत मांगे गए शुल्क को अंतिम उत्पाद के बिक्री मूल्य का निर्धारण करने में जोड़ा गया होगा जिसमें आयातित फाइबर का उपयोग किया गया था और 'अन्यायपूर्ण संवर्धन' के सिद्धांत को लागू करते हुए न केवल भुगतान किए गए शुल्क की वापसी का आदेश दिया जाना चाहिए, बल्कि अपीलकर्ताओं को उस कर के बराबर राशि का भुगतान करना चाहिए जो उनके द्वारा प्राप्त शुल्क अपने ग्राहकों को सौंप दी थी। अपीलार्थियों के विद्वान वकीलों ने प्रस्तुत किया कि "अन्यायपूर्ण संवर्धन" के सिद्धांत का वर्तमान मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं है जहां शुल्क कच्चे माल पर था न कि तैयार उत्पाद पर। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया था, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि यह शुल्क अंततः निर्मित वस्तुओं के बिक्री मूल्य में शामिल किया गया था।

इन अपीलों के लंबित रहने के दौरान अंतरिम आदेश पारित किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ताओं द्वारा कुछ अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किया गया था, जो कि

मांग का लगभग पचास प्रतिशत और शेष राशि के संबंध था। राशि की बैंक गारंटी दी गई थी। अभिलेख पर किसी भी सामग्री के अभाव में हम यह तय करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं कि इन मामलों में अन्यायपूर्ण संवर्धन का सिद्धांत लागू होता है या नहीं। आम तौर पर अपीलों की अनुमति दिए जाने के साथ भुगतान किए गए अतिरिक्त शुल्क की वापसी का परिणाम निम्नलिखित होता है। हालाँकि, इन अपीलों में, हमने माना है कि खंडेलवाल मेटल एंड इंजीनियरिंग वर्क्स मामले में निर्णय इस निर्णय में बताए गए सही कानून को निर्धारित नहीं करता है। खंडेलवाल मेटल एंड इंजीनियरिंग वर्क्स मामले में निर्णय के लगभग चौदह साल बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद ऐसा नहीं होगा

सरकारी खजाने में भुगतान किए गए अतिरिक्त शुल्क की वापसी की मांग करना न्यायसंगत नहीं होगा। ऐसे समय पर इन अपीलों में सफल होने के बाद अपीलकर्ताओं को अवैध मांग के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान करने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

तदनुसार हम इन अपीलों को स्वीकार करते हैं जिसके परिणाम अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा अतिरिक्त शुल्क की मांग को निरस्त किया जाता है प्रत्यर्थी अतिरिक्त शुल्क देने के लिए बाध्य नहीं है। दोनों पक्ष अपने खर्चा को वहन करेंगे।

राजेन्द्र बाबू, न्यायमूर्ति मैंने अपने विद्वान भाई न्यायमूर्ति कृपाल द्वारा मुझे भेजे गए मसौदा निर्णय का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है। मेरे विद्वान भाई का मानना है कि मूल चट्टान से एस्बेस्टस फाइबर को अलग करना निर्माण की प्रक्रिया का परिणाम नहीं था, न कि उत्पाद शुल्क के लिए उत्तरदायी एक नई वाणिज्यिक वस्तु थी। प्रशुल्क मद 22-एफ के तहत संदर्भ के क्रम में शुल्क निर्णायक है और उस पहलू को फिर से उत्तेजित नहीं किया जा सकता है। निर्णय किया जाने वाला प्रश्न यह है कि क्या विचाराधीन वस्तु पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाय और उस प्रश्न का उत्तर इसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है। इस प्रकार तय किए जाने वाले मुद्दे को दो अलग-अलग पहलुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता था ताकि मामले का एक पहलू अंतिम रूप ले सके। कानून के मामले के रूप में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि क्या किसी कारण या कार्यवाही को अलग-अलग चरणों में अलग-अलग न्यायाधीशों और किसी भी 488 न्यायाधीशों से बनी विभिन्न पीठों द्वारा निपटाया जाता है।

ऐसा आदेश दिया गया है जिसने अंतिमता प्राप्त कर ली है या जिसे एक निर्णायक चरित्र मिला है, तो ऐसा आदेश पक्षों के बीच न्यायिक प्रक्रिया का संचालन कर सकता है ताकि उसी मामले के बाद के चरणों में फिर से नहीं खोला जा सके। ऐसे मामले में जहां कोई निर्णय कई कारकों पर निर्भर है जैसा कि वर्तमान मामले में है - क्या उत्पाद शुल्क का अतिरिक्त शुल्क विचाराधीन अनुच्छेद की ओर आकर्षित होता है, इस मामले के एक पहलू को

पीठ द्वारा तय किया गया नहीं कहा जा सकता है, जबकि अन्य पहलुओं को बड़ी पीठ द्वारा तय किया जाना है। मेरी राय में, सम्मान के साथ, इस तरह से निर्णय का विभाजन नहीं किया जा सकता है। मुद्दा केवल एक ही था कि क्या जिन वस्तुओं का आयात किया जाता है, उन पर अतिरिक्त शुल्क लगता है। उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कई पहलुओं पर विचार करना होगा और उन पहलुओं में से प्रत्येक एक अलग मुद्दा नहीं बन सकता है जिसे उस मामले में तय करना होगा।

उच्चतम न्यायालय नियम, 1966 के आदेश VII में है - प्रभाग न्यायालय और एकल न्यायाधीश की शक्तियाँ संविधान में प्रावधान है नियम 2 में यह प्रावधान है कि यदि किसी मामले की सुनवाई करने वाली पीठ यह मानती है कि मामले को एक बड़ी पीठ द्वारा निपटाया जाना चाहिए तो वह मामले को मुख्य न्यायाधीश को भेजेगी जो उसके बाद इसकी सुनवाई के लिए ऐसी पीठ का गठन करेगा। आदेश VII के नियम 2 के तहत जो विचार किया गया है वह यह है कि जब कोई पीठ इस मामले को एक बड़ी पीठ द्वारा निपटाए जाने पर विचार करती है तो वह मामले को सुनवाई के लिए एक उपयुक्त पीठ के गठन के लिए मुख्य न्यायाधीश को भेजेगी। इसलिए, यह एक सवाल नहीं है, बल्कि पूरा कारण, अपील या अन्य कार्यवाही है जो बड़ी पीठ को भेजी जाती है। जहां बड़ी पीठ को लगता है कि उसे केवल एक प्रश्न या प्रश्नों पर विचार करना चाहिए, वह ऐसा कर सकती है और अन्य प्रश्नों को एक छोटी पीठ द्वारा विचार करने के लिए खुला छोड़ सकती है। दो निर्णय नहीं हो सकते हैं-एक मामले के एक पहलू का निर्णय करने वाली छोटी पीठ द्वारा और दूसरा मामले के दूसरे पहलू का निर्णय करने वाली बड़ी पीठ द्वारा। ऐसे मामले में जहां बड़ी पीठ केवल एक प्रश्न का निर्णय करती है और मामला छोटी पीठ को वापस जाता है, छोटी पीठ बड़ी पीठ द्वारा व्यक्त किए गए विचार से बाध्य होगी और फिर यह छोटी पीठ के निर्णय का हिस्सा बनती है जो अंततः मामले का निपटारा करती है।

ऊपर जो कहा गया है, उसे ध्यान में रखते हुए, मुझे इस बात पर गंभीर आपत्ति है कि माल की प्रकृति के संदर्भ में व्यक्त किया गया क्रम अंतिम हो गया है। हालाँकि, मैं इस मामले पर अपना विचार व्यक्त करने का प्रस्ताव नहीं करता क्योंकि संदर्भ के क्रम में निष्कर्ष दलीलों के दौरान पक्षों द्वारा किए गए कथनों पर आधारित है। यदि पक्षकार स्वयं इस मामले को इस तरह से समझते हैं तो हमारे लिए इन पहलुओं में जाना और संदर्भ के क्रम में जो कहा गया है उससे अलग निष्कर्ष देना अनावश्यक है। इस मामले के गुण-दोष पर, मैं 489 के साथ पूरी तरह से सहमत हूँ।

संदर्भ क्रम में व्यक्त विचार और मेरे विद्वान भाई न्यायाधीश कृपाल द्वारा प्रस्तावित आदेश, हालाँकि, ऊपर बताए गए आरक्षण के अधीन है।

शाह न्यायमूर्ति मुझे उपरोक्त मामले में विद्वान भाई कृपाल न्यायमूर्ति द्वारा दिए गए फैसले के साथ-साथ विद्वान भाई राजेन्द्र बाबु न्यायमूर्ति द्वारा दिए गए संक्षिप्त फैसले पढ़ने से लाभ मिला है

मैं यह मानने के लिए दर्ज किए गए कारणों से सहमत हूँ कि अनुपात निर्धारित है।

मैं खंडेलवाल मेटल एंड इंजीनियरिंग वर्क्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1985) 3 एस.ई.सी. 620 के मामलों में निर्धारित अनुपात को मानने के लिए दर्ज कारणों से सहमत हूँ। इस आशय का कि अतिरिक्त सीमा शुल्क केवल वस्तु के आयात पर लगाया जा सकता है, भले ही वह भारत में निर्मित या उत्पादित न किया गया हो, सही प्रतीत नहीं होता है और प्रस्तावित अंतिम आदेश के साथ भी सही नहीं लगता है।

हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि सवाल यह है कि क्या एस्बेस्टस का पृथक्करण खानों से खुदाई की गई मूल चट्टान से फाइबर एक निर्माण प्रक्रिया है।

उत्पाद शुल्क अधिनियम की पहली अनुसूची की शुल्क वस्तु 22 एफ के साथ पठित धारा 2 (एफ) के अर्थ के भीतर इस संदर्भ में चर्चा नहीं की गई है। एस्बेस्टस रेशे को बिजली का उपयोग करने के बाद यांत्रिक प्रक्रिया सहित विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा बाहर निकाला जाता है और यह एक अलग पदार्थ (सामान) है जिसे बाजार में 'कच्ची चट्टान' से जाना जाता है। इसलिए, मुझे उक्त प्रश्न पर गंभीर आपत्ति है। लेकिन जैसा कि पक्षकारों द्वारा उक्त प्रश्न को अंतिम रूप से संदर्भ के समय तय किया गया माना जाता है, इस संदर्भ को तय करते समय इस पर विचार नहीं किया जाता है।

टीएनए।

अपीलों का निपटारा किया गया।